

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री भगवतीलाल पिता प्यारचन्द खटीक निवासी, नया बस स्टेण्ड, राशमी  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़  
किस्म - प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
प्रकरण संख्या ६1 / 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/9/19	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री भगवतीलाल पिता प्यारचन्द खटीक निवासी नया बस स्टेण्ड, मु. पो. राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 28.07.2019 एवं 30.07.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राशमी द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राशमी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, राशमी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	

17/9/19



(शियांगी त्वर्णकार)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़